

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002- 13/17-20 4- 2017 /राँची, दिनांक 01.07.2017

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- पलामू जिलान्तर्गत रानीताल जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 17.99 करोड़ (रुपये सत्रह करोड़ निनान्चे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिलान्तर्गत रानीताल जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 17.99 करोड़ (रुपये सत्रह करोड़ निनान्चे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. रानीताल जलाशय योजना के बांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 2.16 कि०मी० तथा दांयी मुख्य नहर की लम्बाई 1.91 कि०मी० है। दांयी मुख्य नहर से निःसृत VCI की लम्बाई 0.60 कि०मी० तथा VCII की लम्बाई 0.33 कि०मी० है।
4. योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत वर्षों में औसतन सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है -

		खरीफ (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	— 500
(ii)	सिंचाई उपलब्धि	— 50
(iii)	पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	— 450
(iv)	पुनरुद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	— 500

5. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रु० 1798.82 लाख के प्राक्कलन की प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है -

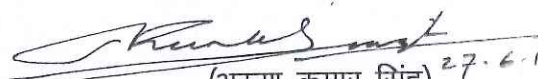
Sl. No.	Component	Amount (in Lakh)
	I- Works	
1	A- Preliminary	5.50
2	C- Work	
(i)	Road on Dam Top & Approach Road	15.42
(ii)	Restoration of Dam	199.63
(iii)	Repairing of Spillway	729.21

(iv)	Carriage	140.64
3	D- Regulator	0.77
4	E- Falls	18.66
5	F- C.D. Works	9.50
6	G- Bridges	78.42
7	L(i)- Earth work	31.72
8	L(ii)- Lining	341.29
9	V- Water Course	11.60
	Total (I-Works) :-	1582.36
	Add : GST - 12%	189.88
	Total :-	1772.24
	Add : 0.50% for Contingency	8.86
	Add : Labour Cess - 1%	17.72
	Grand Total :-	1798.82
	Say :-	Rs. 17.99 crore

6. इस प्राक्कलन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेंगे :-
 - i) रानीताल जलाशय योजना के बांयी मुख्य नहर का पुनरुद्धार एवं लाईनिंग कार्य।
 - ii) रानीताल जलाशय योजना के दांयी मुख्य नहर का पुनरुद्धार एवं लाईनिंग कार्य।
 - iii) इसके दांयी मुख्य नहर के VC-I के कि०मी० 0.00 से 0.60 कि०मी० तक पुनरुद्धार कार्य।
 - iv) इसके दांयी मुख्य नहर के VC-II के कि०मी० 0.00 से 0.33 कि०मी० तक पुनरुद्धार कार्य।
 - v) योजना के डैम का मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य।
 - vi) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा— Outlets, Inlets, Falls, Aqueduct एवं VR Bridge का मरम्मत एवं निर्माण कार्य।
7. पुनरुद्धार कार्य वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ कर वर्ष 2020-21 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
8. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा ग्री-लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।
9. पुनरुद्धार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।
10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।
11. इस योजना पर होने वाला व्यय -
 - (i) मुख्य शीर्ष '4701' - मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-54-सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, 45-निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड- 49S-4701-80-800-54-05-45)

12. वर्ष 2019-20 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है -
a) शीर्ष 49S - 4701 - 80 - 800 - 54 - 05 - 45 में रु० 36000.00 लाख
13. इस योजना का कार्यान्वयन जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
14. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. कार्य के लिये राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।
16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
17. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
19. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति की दिनांक 07.06.2019 की बैठक में प्राप्त स्वीकृति एवं योजना -सह- वित्त मंत्री से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात् झापांक-रा०यो०प्रा०-106/19 दिनांक 10.06.2019 द्वारा संसूचित है।
20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
21. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अरुण कुमार सिंह) 27.6.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

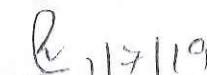
पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002-13/19-20 ज० राँची, दिनांक 01.07.2017

प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

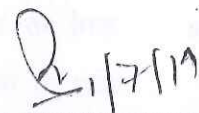
पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002-13/19-20 ज० राँची, दिनांक 01.07.2017

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

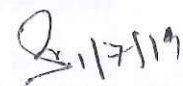
पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002-13/17-20 ऽ: ११/१० /राँची, दिनांक ०१/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०-3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

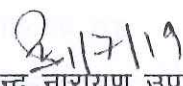
पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002-13/17-20 ऽ: ११/१० /राँची, दिनांक ०१/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:- मु०अभि०(मो०)/536/2002-13/17-20 ऽ: ११/१० /राँची, दिनांक ०१/०७/२०१७

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

